भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 789

07 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध

789. कुंवर दानिश अली:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध और स्टॉक होल्डिंग सीमा क्रियान्वित होने को ध्यान में रखते हुए गेहूं की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक रणनीति अपनाई गई है;

(ख) क्या सरकार को थोक विक्रेताओं, व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं जैसी इकाइयों द्वारा अनुपालन न किए जाने सम्बन्धी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अनुपालन न किए जाने के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): गेहूं की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को वितरण के लिए और पर्याप्त बफर एवं रणनीतिक रिजर्व के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीद करती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और उचित कीमत बनाए रखने के लिए, बफर और रणनीतिक रिजर्व के अतिरिक्त खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [(ओएमएसएस (डी)] के माध्यम से अधिशेष खाद्यान्न स्टॉक उतार दिया जाता है। वर्ष 2023-24 में, ओएमएसएस(डी) के तहत दिनांक 31.03.2024 तक खुले बाजार में जारी करने के लिए 101.5 लाख टन गेहूं आवंटित किए गए हैं।

समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए तथा जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 12 जून, 2023 तक गेहूं स्टॉक सीमा लागू की है, जो 31.3.2024 तक सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, प्रमुख श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर लागू है।

...2/-

दिनांक 08.12.2023 से संशोधित गेहूं स्टॉक सीमा निम्नानुसार है:

निकाय	**गेहूं स्टॉक की सीमा**
व्यापारी/थोक विक्रेता	**1000 टन**
खुदरा	प्रत्येक खुदरा दुकानों के लिए **5 टन**
बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता	प्रत्येक दुकान के लिए **5 टन** और उनके सभी डिपो पर **1000 टन**
प्रोसेसर	वर्ष 2023-24 के शेष माह तक गुणात्मक रूप से मासिक संस्थापित क्षमता का **70%**

(ख) से (घ): गेहूं का स्टॉक रखने वाली संस्थाओं का निरीक्षण एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है तथा यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। गेहूं स्टॉक पोर्टल पर पंजीकरण न होना, अधिसूचित सीमा से ऊपर स्टॉक रखना आदि जैसे गैर-अनुपालन की घटनाओं के मामलों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955) के तहत उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

*****